D

2016/71

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–राजन विशाल,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 82/2016

प्रार्थी	बनाम	**अप्रार्थीगण**
घमण्डाराम पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी खानपुरा तहसील परबतसर जिला नागौर।		1–सोनकंवर पत्नी आनन्दसिंह जाति राजपूत फोत के कायम मुकामान– 1/1–कंचन कंवर पुत्री आनन्दसिंह पत्नी बिजेन्द्रसिंह राजपूत निवासी खानपुर 2–भंवरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी खानपुर 3–महेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत फोत के कायम मुकामान– 3/1–विरेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह 3/2–रविन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह 3/3–नन्दूकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह 3/4–चांदकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह 3/5–बाउकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह 3/6–सोनुकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह 3/7–सन्तोषकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह 3/8–पूजाकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह 4– गुमान कंवर पत्नी मानसिंह 5–उम्मेदसिंह पुत्र समदरसिंह जाति राजपूत फोत के कायम मुकामान– 5/1–जगतसिंह पुत्र उमेदसिंह 5/2–राजेन्द्रसिंह पुत्र उमेदसिंह 5/3–चांदसिंह पुत्र उमेदसिंह 6–जोरावरसिंह पुत्र खींवसिंह 7–चन्द्रसिंह पुत्र खींवसिंह 8–हिम्मतसिंह पुत्र खींवसिंह 9–सरदारसिंह पुत्र खींवसिंह 10–मोहन कंवर पत्नी भोजराजसिंह 11–प्रकाश कंवर पुत्री भोजराजसिंह 12–सरोजकंवर पुत्री भोजराजसिंह 13–नरेश कंवर पुत्री भोजराजसिंह 14–महालक्ष्मीकंवर पुत्री भोजराजसिंह 15–अजीतसिंह पुत्र सुलतानसिंह 16–विरेन्द्रसिंह पुत्र सुलतानसिंह समस्त जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम खानपुर तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान। 17–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री विमलेश प्रकाश जोशी ।
2. अप्रार्थी सख्या 5/1 से 5/3 व 16 की और से वकील श्री महावीरसिंह राठौड़।
3. अप्रार्थी सख्या 17 की और से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ।

आदेश दिनांक– 01-5-17

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी परबतसर के न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद संख्या 47/2011 छीतरराम वगैरह बनाम सोनकंवर वगैराह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या–1/1, 2, 3/1 से 3/8, 4, 6 से

15 के नोटिस दो मौतबिरान के समक्ष तामील से इंकार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने पर उक्त अप्रार्थीगण की तामील पर्याप्त मानी गई। उक्त अप्रार्थीगण से हस्तगत प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

प्रकरण मे उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी। वकील प्रार्थी का बहस मे यह कथन था कि प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के समक्ष वाद वास्ते घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती को पेश किया जो, वाद संख्या 47/2011 आगामी पेशी 4.10.16 को वास्ते आदेश आवेदन बाबत कायममुकाम नियत कर रखा है, जिसमें प्रार्थी न्यायालय हाजा में सुनवाई नही करवाना चाहता क्यों कि प्रार्थी को अन्देशा है कि एस.डी.ओ. परबतसर अप्रार्थी जगतसिंह के प्रभाव में आकर वाद जरिये एबेट खारिज करने पर आमादा है, क्योकि इस बात की प्रार्थी को अप्रार्थी जगतसिंह एलानियया धमकी दे चुका है।

अप्रार्थी संख्या–5 के कायम मुकाम जगजीतसिंह एक बड़ा पहुंचवाला व्यक्ति है तथा वह एस.डी. ओ. परबतसर के साथ आना जाना व उठना बैठना रखता है, क्योंकि उक्त व्यक्ति के पुष्कर में अपने हेरीटेज होटल जगतप्लेस एवं पुष्कर प्लेस पुष्कर में स्थित है वहां पर एस.डी.ओ. परबतसर का उसके साथ रूकने व धूमने आदि की साथ साथ रहने की गतिविधियों के बारे में जगतसिंह मुझ प्रार्थी को बताकर धमकियां देता है कि एस.डी.ओ. परबतसर से मैं उक्त वाद का फैसला मेरे पक्ष में करवा लूंगा। अप्रार्थी की उक्त गतिविधियों का पीठासीन अधिकारी का प्रभाव में आकर अनुचित दबाव में आकर मेरे विरूद्ध फैसला किये जाने का पूरा अन्देशा है, जिस कारण अदालत मातहत एस.डी.ओ. परबतसर से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जिस कारण उक्त मामले को न्यायालय उपखण्ड परबतसर से अन्य जगह स्थानान्तरित करने हेतु यह आवेदन पेश किया है।

श्री जगतसिंह द्वारा दी गई धममियां इस बात से भी पुष्ट है कि अभी कुछ ही दिनों पहले जगतसिंह के साथ एस.डी.ओ. परबतसर हमारे विवादित खेताय के आस पास व खेत में भी आये थोड़े रूके और चले गये जिससे भी प्रार्थी को अन्देशा है कि अप्रार्थी अनुचित रूप से पीठासीन अधिकारी को दबाव में लेकर उक्त मामले का फैसला अपने पक्ष में करवा सकता है। जिस कारण भी प्रार्थी को विश्वास होना स्वभाविक है कि एसडीओ परबतसर से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।

कोर्ट परिसर परबतसर में भी लोगों की आम धारणा यह है कि एस.डी.ओ. परबतसर हमारे अधिवक्ता श्री प्रहलादराम मिर्धा के विरूद्ध ज्यादातर द्वेषता रखते हुऐ लगभग मामलों में विरूद्ध आदेश जारी करता है क्योंकि अभी हाल ही में करीब 3 माह पूर्व ग्राम पीलवा थाने के 151 सीआरपीसी के मुलजिमान को केम्प कोर्ट में पेश किया गया जहां पर अन्य वकील द्वारा पेरोकारी कर रहे लेागों को जमानत केम्प में ही प्रदान कर दी गई और वकील प्रहलादराम मिर्धा द्वारा पैरोकारी कर रहे मुलजिमान की जमानत नहीं ली जिससे साफ जाहिर होता है कि एस.डी.ओ. परबतसर हमारे वकील के विरूद्ध भी जा सकता है तथा जगतसिंह के प्रभाव में भी आ सकता है, जिसका नुकशान प्रार्थी को होने का पूरा अन्देशा होने का कथन करते हुऐ उपखण्ड अधिकारी परबतसर से पत्रावली संख्या 47/11 अन्यत्र उपखण्ड अधिकारी को सुनवाई हेतु ट्रान्सफर करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(1) पेज 516 न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

वकील प्रार्थी ने उक्त संबंध में कानाराम पुत्र छीतरराम जाति जाट निवासी खानपुरा तहसील परबतसर का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। उक्त शपथ पत्र में कानाराम द्वारा कथन किये गये है कि दिनांक 29.9.16 से 4–5 दिन पूर्व हाल एस.डी.ओ. साहब परबतसर हमारे विवादित खेताय पर आकर कहा कि आप यह खेत छोड़ दो यह जगतसिंह का है। यह बात जब हमने हमारे वकील प्रहलाद जी को बतायी तब उन्होने कहा कि यह साहब पता नहीं क्यूं मेरे भी विरूद्ध चलते है और मैं इसमें आपका वकील हूँ। इस बात से विश्वास करना की इस कोर्ट से न्याय नहीं मिल सकता।

वकील अप्रार्थी श्री महावीरसिंह ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ स्वंय द्वारा प्रस्तुत जबाब में वर्णित कथनो को हूबहू दौहराते हुऐ कथन किया की एस.डी.ओ. परबतसर अप्रार्थी जगतसिंह के प्रभाव में आकर वाद जरिये एबेट खारिज करने पर आमादा होने तथा प्रार्थी द्वारा को अप्रार्थी जगतसिंह

द्वारा ऐलानिया धमकी देने के कथन को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया की प्रार्थी ने ऐसे तथ्य बिना किसी आधार के, बनावटी व झूठे दर्ज किये है, जो किसी भी रूप में माने जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विधि विरूद्ध वाद में प्रार्थी को सफलता मिलती नजर नहीं आने के कारण उसे लम्बा करने व अप्रार्थीगण पर नाजायज दबाव बनाने व उन्हे तंग व परेशान करने के लिए यह आवेदन पेश किया है। किसी निष्ठावान व ईमानदार अधिकारी पर सन्देह प्रकट कर पत्रावली को मुन्तकिल या जाना विधि सम्मत नहीं है।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथन जगतसिंह एक बड़ा पहूँच वाला व्यक्ति हो, वह एस.डी.ओ. परबतसर के साथ आना–जाना व उठना बैठना रखता हो तथा एस.डी.ओ. परबतसर का होटल जगतप्लेस व पुष्कर प्लेस में रूकने, घूमने व साथ साथ रहने की गतिविधियों के बारे में जगतसिंह प्रार्थी को बताकर धमकियां देता है कि एस.डी.ओ. परबतसर से मैं उक्त वाद का फैसला अपने पक्ष में करवा लूंगा तथा पीठासीन अधिकारी प्रभाव व दबाव में आकर प्रार्थी के विरूद्ध फैसला करने का अन्देशा होने के कारण न्याय नहीं मिलने की उम्मीद नहीं होने के प्रार्थी के कथन अस्वीकार है। अप्रार्थीगण एस.डी.ओ. परबतसर को जानते तक नहीं है न्यायालय में अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता पैरवी करते है तथा एस.डी. ओ. परबतसर कभी उक्त होटलों में नहीं रूके है इस संबंध में सारे तथ्य कपोल कल्पित दर्ज किये गये है, जो माने जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी इस प्रकार के आक्षेप लगाकर किसी अधिकारी पर दबाव बनाकर वाद अपने पक्ष में डिक्री करवाना चाहता है। पत्रावली मुन्तकिल करने का कोई माकूल कारण नहीं से प्रार्थी का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी परबतसर जगतसिंह के साथ विवादित खेताय पर कभी नहीं गये न वहां रूके, न ऐसा करने की आवश्यकता रहीं है। प्रार्थी ने इस संबंध में कोई तारीख, मिति, समय आदि नहीं बताया है व उनको वहां किसने देखा यह भी नहीं बताया है तथा न वहां जाने, रूकने की कोई फोटो व साक्ष्य आदि पेश की है। इसलिए किसी अधिकारी पर कयासी आधारों पर झूठे आक्षेप लगाकर आवेदन पेश करना स्वंय प्रार्थी की बदनियती को दर्शाता है।

वकील प्रार्थी का कथन कोर्ट परिसर परबतसर में आम धारण हो कि एस.डी.ओ. परबतसर प्रार्थी के अधिवक्ता प्रहलादराम मिर्धा के विरूद्ध ज्यादातर द्वैवषता रखते है व लगभग मामलों में विरूद्ध आदेश पारित जारी करते है, गलत है। पीलवा थाने के कथित मामला धारा 151 सीआरपीसी की उत्तरदाता को कोई जानकारी नहीं है एवं न ही उत्तरदाता से संबंध है। जहां तक किसी न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार के पक्ष व विपक्ष में निर्णय करने का प्रश्न है वह पत्रावली पर निर्भर करता है। ऐसे अधिकारी किसी भी पक्षकार व अधिवक्ता से कोई द्वैषता नहीं रखते है उन्हे पत्रावली व रेकर्ड अनुसार निर्णय करना होता है व अपने कर्तव्यों की पालना करते है। लेकिन प्रार्थी अपने विधि विरूद्ध वाद को अपने पक्ष में डिक्री करवाने के लिए पीठासीन अधिकारी पर उलूल जलूल आक्षेप लगाकर इस तरह का आवेदन पेश किया है व अधिकतर तथ्य अप्रासंगिक दर्ज किये है, जिससे प्रार्थी को उक्त पत्रावली मुन्तकिल कराने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। पीठासीन अधिकारी के आदेश से कोई पक्ष सन्तुष्ठ नहीं होता है तो दोनों पक्षकार कानूनन अपील करने हेतु स्वतन्त्र रहने का कथन करते हुए वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी को प्रार्थना पत्र को खारिज करने निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया की प्रार्थी द्वारा अपनी बहस तथा आवेदन में किसी गये कथन प्रथमदृष्टया ही कपोल कल्पित तथा तथ्यहीन हैं। प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के संबंध में ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे कि प्रार्थी के कथनों पर विश्वास किया जा सके। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों में लागू नहीं है। जहां तक प्रार्थी द्वारा कानाराम शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त कानाराम अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी के साथ ही वादी के रूप में पक्षकार छीतरराम का पुत्र है, जो कि प्रार्थी से हितबद्ध व्यक्ति होने से कानाराम द्वारा किये गये कथन विश्वसनीय नहीं होने कथन करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा जगतसिंह के साथ उपखण्ड अधिकारी का उठना बैठना तथा उसके पुष्कर स्थित होटल आदि में उसके साथ रूकने व साथ–साथ रहने के बारे में जगतसिंह द्वारा प्रार्थी को बताया जाकर प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी परबतसर से उक्त वाद का फैसला अपने पक्ष में करवा लेने धमकिया प्रार्थी को देने को लेकर कथन किया है। उक्त संबंध में उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा अपनी टिप्पणी में बताया है कि वह प्रतिवादी जगतसिंह को नहीं जानता है तथा उसके पुष्कर में होटल है अथवा नहीं इसके बारे में भी उन्हे कोई जानकारी नहीं है, प्रार्थी द्वारा निराधार आरोप लगाये जाने का कथन किया है। उपखण्ड अधिकारी परबतसर का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है। क्योंकि जगतसिंह द्वारा प्रार्थी को उक्त प्रकरण में फैसला अपने पक्ष में करवाने के लिए कब, किसके सामने कहा गया इसके सबंध में कोई ठोस तथ्य, सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है।

वकील प्रार्थी का यह कथन की श्री जगतसिंह द्वारा दी गई धमकियां इस बात से भी पुष्ट है कि अभी कुछ ही दिनों पहले जगतसिंह के साथ एस.डी.ओ. परबतसर हमारे विवादित खेताय के आस पास व खेत में भी आये थोड़े रूके और चले गये जिससे भी प्रार्थी को अन्देशा है कि अप्रार्थी अनुचित रूप से पीठासीन अधिकारी को दबाव में लेकर उक्त मामले का फैसला अपने पक्ष में करवा सकता है। उक्त संबंध में उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने अपनी पैरावाईज टिप्पणी में स्पष्ट कथन किया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का निरीक्षण नहीं किया गया। उन पर किसी का किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा वकील प्रार्थी के उक्त कथन को अस्वीकार किया गया है। उक्त संबंध में उपखण्ड अधिकारी परबतसर का कथन उचित प्रतीत होता है, क्योकि उपखण्ड अधिकारी परबतसर प्रार्थी के उक्त विवादित खेताय के आस पास व उसकें खेत में भी आये तो प्रार्थी को उक्त संबंध में तारीख, मिति आदि का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में करना चाहिए था, जिसका उल्लेख प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है और उपखण्ड अधिकारी उसके खेत में आये तब और कौन–कौन व्यक्ति वहां मौजूद थे इस संबंध में भी अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी का उक्त कथन बिना किसी ठोस आधार के होने से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

वकील प्रार्थी का कथन कि कोर्ट परिसर परबतसर में भी लोगों की आम धारणा यह है कि एस.डी. ओ. परबतसर हमारे अधिवक्ता श्री प्रहलादराम मिर्धा के विरूद्ध ज्यादातर द्वेषता रखते हुऐ लगभग मामलों में विरूद्ध आदेश जारी करता है क्योंकि अभी हाल ही में करीब 3 माह पूर्व ग्राम पीलवा थाने के 151 सीआरपीसी के मुलजिमान को केम्प कोर्ट में पेश किया गया जहां पर अन्य वकील द्वारा पेरोकारी कर रहे लेागों को जमानत केम्प में ही प्रदान कर दी गई और वकील प्रहलादराम मिर्धा द्वारा पैरोकारी कर रहे मुलजिमान की जमानत नहीं ली जिससे साफ जाहिर होता है कि एस.डी.ओ. परबतसर हमारे वकील के विरूद्ध भी जा सकता है तथा जगतसिंह के प्रभाव में भी आ सकता है। उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा एक और कोर्ट परिसर में लोगों में प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रहलादराम मिर्धा के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वैषता रखना बताया है कि जबकि उक्त कथन की पुष्टि में उक्त अधिवक्ता श्री प्रहलादराम अथवा आम लोगों में से किसी का भी शपथ पत्र अथवा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा प्रार्थी के अधिवक्ता प्रहलादराम के किस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा जमानत नहीं ली गई उसका कोई विवरण प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है तथा उक्त जमानत प्रकरण से प्रार्थी किस प्रकार संबंधित है, यह भी तथ्य प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

प्रार्थी द्वारा हस्तगत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 30.9.2016 को प्रस्तुत किया गया, जिसका वकील अप्रार्थी श्री महावीरसिंह द्वारा दिनांक 1.12.16 को प्रार्थी के आवेदन का जबाब पेश किया, जिसमें वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी परबतसर जगतसिंह के साथ विवादित खेताय पर कभी नहीं गये न वहां रूके, न ऐसा करने की आवश्यकता रहीं है। प्रार्थी ने इस संबंध में कोई तारीख, मिति, समय आदि नहीं बताया है व उनको वहां किसने देखा यह भी नहीं बताया है तथा न वहां जाने, रूकने की कोई फोटो व साक्ष्य आदि पेश की है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कानाराम पुत्र छीतरराम

जाति जाट निवासी खानपुरा का शपथ पत्र दिनांक 11.04.2017 को पेश किया गया, जिसमें कानाराम द्वारा कथन किये गये हैं की दिनांक 26.9.16 से 4–5 दिन पूर्व हाल एस.डी.ओ. साहब परबतसर हमारे विवादित खेताय पर आकर कहा कि आप यह खेत छोड़ दो यह जगतसिंह का है। यह बात हमने हमारे वकील प्रहलाद जी को बताई तब उन्होने कहा कि यह साहब तो पता नहीं क्यूं मेरे विरूद्ध चलते है ओर मैं इसमें आपका वकील हूँ। प्रथमतः शपत्र पत्र प्रस्तुतकर्ता कानाराम प्रार्थी से हितबद्ध व्यक्ति है, स्वतन्त्र/निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। वकील अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत कर उसमें किये गये कथन की प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी परबतसर जगतसिंह के साथ विवादित खेताय पर गये हो इस संबंध में कोई तारीख, मिति, समय आदि नहीं बताया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कानाराम का उक्त शपथ पत्र वकील अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत करने के बाद में, उपखण्ड अधिकारी परबतसर का उनके खेत आने के संबंध में दिनांक आदि का खुलासा करने की नियत से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने समय उक्त दिनांक आदि का उल्लेख क्यों नहीं किया गया, इस तथ्य को वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही उक्त शपथ में कथन बढ़ा चढ़ाकर अंकित किये गये है कि हाल एस.डी.ओ. साहब परबतसर हमारे विवादित खेताय पर आकर कहा कि आप यह खेत छोड़ दो यह जगतसिंह का है, जबकि प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में उक्त तथ्य अंकित नहीं किये है। इस प्रकार कानाराम जो प्रार्थी का हितबद्ध व्यक्ति है, उसके द्वारा शपथ पर किये गये कथन परिस्थितियों के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होते है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों में लागू नहीं होता है।

इस प्रकार प्रार्थी के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में कोई ठोस आधार नहीं होकर काल्पनिक तथ्य अंकित किये गये है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रकरण को लम्बित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बध मे माननीय राजस्व मण्डल की ही एकल पीठ द्वारा 1994 आर.आर.डी. 117 में यह भी निर्धारित किया गया है कि :– "tranfer of a case from a competent court is not a mere formality but it certainly casts a stigma on its Presiding officer it is true that the justice should not only be done but it should appear to have been done. Transferring a case without sufficient or adequate reason even on the basis of consent of the parties or convenience of parties is not called for or cannot be done . There must be a resonable apprehension in the mind of a litigant seeking transfer of a case from the Court of a particular Presiding officer. Mere making any observation by the Presiding officer during hearing an appeal and on the basis of such observations, if any of the parties to the appeal feels that the result of appeal may go against it, it cannot be said that such a party has a reasonable apprehension that it would not get justice in the case,..."

इसी प्रकार 2006–2007 (सप्लीमेन्ट्री) आर.आर. टी. 435 में यह भी निर्धारित किया गया है कि :– "फोरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना किसी ठोस आधारों के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्याय प्रकिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड़ में दुरूपयोग को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिये। उच्च अदालतों को यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रावधानों का abuse of the process of Law नही हो।"

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सारहीन होने के आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति संम्बधित पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी परबतसर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

01/05/17

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर, नागौर